न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :— 17/2017

गोपीचन्द उम्र 39 वर्ष पुत्र घीसाराम जाति कुम्हार पेशा नौकरी, निवासी सुलताना अहिराना जिला झुंझुनूं जरिये मुख्तयार महेन्द्र सिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र घीसाराम, जाति कुम्हार निवासी सुलताना अहिरान जिला झुंझुनूं (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुंझुनूं

रेस्पोडेन्ट

अपील अ0 धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधि0 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गोपीचन्द मु0न0 59/16 अ0धा0 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 05.10.2016

उपस्थिति :—
1. श्री विजयपाल सिंह, एडवोकेट — अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट — रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक :— .20.09.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 05.10.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गोपीचन्द मु0नं0 59/2016 अं0धारा 91 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई । संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने जमीन हाल ख0न0 479 रकबा 0.39है0 गै0 मुमकीन रास्ता सरहद मौजा की ढाणी डागियान में 0.01है0 पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट की प्रर्याप्त तामील मानने में कानूनी गलती की गई है। अपीलान्ट के पास कभी भी तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट सशपथ नही है। तामील का समय अंकित नही है। इन्कारी के तथाकथित गवाहान की वलदीसत व

सकुनत दर्ज नही है। दिनांक 29.09.2016 को अपीलान्ट नोटिस में अंकित पते पर मौजुद नही था बल्कि राजकीय सेवामें में दूसरे प्रान्त में तैनात था। नोटिस में अपीलान्ट की जाति अहीर लिखी हुई है। पटवारी हल्का की रिर्पोट में जाति कुम्हार लिखी हुई है। अपीलान्ट के नाम वल्दीयत का अहीर जाति का कोई व्यक्ति ग्राम सुलताना में नही है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट की बीना तामिल करवाये एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल है। यह कि भूमि ख0न0 479 गै0मुमकीन रास्ता की वर्तमान नक्शा सही नही है और गत नक्शाशीट के मुताबिक छौराने भू–प्रबंध नही बनाई गई। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का तथाकथित अतिक्रमण का नाम लम्बाई चौड़ाई दर्ज नही है स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट भी नही की है कि तथाकथित अतिक्रमण किस जगह व किस रूप में है। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिन न्यायिक विवेक की पालना किये मनमर्जी से एक पक्षीय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर बेदखल करने का निर्णय गलत रूप से पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि निर्णय जैर बहास स्पीकींग नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में दर्ज तथाकथित निर्माण पूर्व का पक्का निर्माण होना दर्ज है इससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य बहुत पुराना है और वर्तमान पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट यह अपील जरिये मुख्तयार प्रस्तुत करवा रहा है। अपीलान्अ को निर्णय जैर बहस की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28.02.2017 को हुई। जानकारी के राज अन्दर मियाद पेश है। अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत है। किसी कारणवंश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नही मानी जाये उस सुरत में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफी की जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावें। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की प्रर्याप्त तामील मानने में कानूनी गलती की गई है। अपीलान्ट के पास कभी भी तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट सशपथ नही है। तामील का समय अंकित नही है। इन्कारी के तथाकथित गवाहान की वलदीयत व सकुनत दर्ज नही है। दिनांक 29.09.2016 को अपीलान्ट नोटिस में अंकित पते पर मौजुद नही था बल्कि राजकीय राजकीय सेवामें में दूसरे प्रान्त में तैनात था। नोटिस में अपीलान्ट की जाति अहीर लिखी हुई है। पटवारी हल्का की रिर्पोट में जाति कुम्हार लिखी हुई है। अपीलान्ट के नाम वल्दीयत का अहीर जाति का कोई व्यक्ति ग्राम सुलताना में नही है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट की बिना तामिल करवाये एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल है। यह कि भूमि ख0न0 479 गै0मुमकीन रास्ता की वर्तमान नक्शा सही नही है और गत नक्शाशीट के मुताबिक दौराने भू–प्रबंध नही बनाई गई। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का तथाकथित अतिक्रमण का नाम लम्बाई चौड़ाई दर्ज नही है स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट भी नही की है कि तथाकथित अतिक्रमण किस जगह व किस रूप में है। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिन न्यायिक विवेक की पालना किये मनमर्जी से एक पक्षीय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर बेदखल करने का निर्णय गलत रूप से पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट वाके ग्राम ढाणी डागियान के भूमि ख0न0 479 कुल रकबा 0.39 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में 0.01 है0 पक्का निर्माण करके अपीलांट ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.10.2016 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं हुई है। दिनांक 29.09.2016 को अपीलान्ट नोटिस में अंकित पते पर मौजुद नही था बल्कि राजकीय राजकीय सेवामें में दूसरे प्रान्त में तैनात था। नोटिस में अपीलान्ट की जाति अहीर लिखी

हुई है। पटवारी हल्का की रिर्पोट में जाति कुम्हार लिखी हुई है। अपीलान्ट के नाम वल्दीयत का अहीर जाति का कोई व्यक्ति ग्राम सुलताना में नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की बिना तामिल करवाये एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 05.10.2016 मु0नं0 59/2016 उनवानी सरकार बनाम गोपीचन्द निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार बुहाना को प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर मौका निरीक्षण करें तथा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल अधीनस्थ न्यायालय आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 20.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर टकिंत करवाया गया तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं